1

राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र

आपके राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम का यह प्रारंभिक पाठ है। इस पाठ में हम राजनीति विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पारम्परिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात यह राज्य और सरकार का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य और राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, शक्ति, मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो राजनीति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस पाठ में आप मूलभूत अवधारणाओं, जैसे न्याय तथा नागरिकों के लिए इसका महत्व आदि का अध्ययन करेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- राजनीति विज्ञान के अर्थ को कुछ परिभाषाओं के संदर्भ में स्पष्ट कर सकेंगे;
- राजनीति विज्ञान और राजनीति में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे:
- राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली तथा नागरिकों के सरकार से संबंध के संदर्भ में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे;
- नागरिक और राज्य के लिए न्याय की प्रासंगिकता को पहचान सकेंगे।

1.1 राजनीति विज्ञान का अर्थ

राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। जे.डब्लू गार्नर के अनुसार ''राजनीति का प्रारम्भ और अंत राज्य के साथ होता है।'' उसी तरह से आर.जी. गैटेल ने कहा है कि राजनीति ''राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है।'' हैरोल्ड जे. लास्की ने कहा है कि राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं एक संगठित राज्य से संबंधित है। इसलिए, समाज विज्ञान के रूप में, राजनीति विज्ञान, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उनके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित है और जो राज्य द्वारा बनाये गए नियम एवं कानून के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा मतभेदों को सुलझाना चाहता है।

1.1.1 राजनीति विज्ञान का बदलता अर्थ एवं क्षेत्र

राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के 'पोलिस' शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है 'नगर-राज्य'। यही



व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

कारण है कि अनेक विशेषज्ञों ने राजनीतिविज्ञान को राज्य या सरकार के संदर्भ में पिरभाषित किया है। यद्यिप यह पिरभाषा राजनीति के लिए पूर्ण नहीं है क्योंकि राजनीति का संबंध शिक्त से भी है। लासवेल और कप्लान ने राजनीति विज्ञान को पिरभाषित करते हुए कहा है " यह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है"। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीति राज्य तथा सत्ता दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान जिस शिक्त से संबंध रखता है वह प्राय: न्यायसंगत शिक्त है। क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण तथा अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य और शिक्त के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करता है।

आप राज्य और सत्ता के बारे में और अधिक अध्ययन इस पाठ के अंत में करेंगे।

राजनीति विज्ञान का संबंध आनुभविक तथ्यों तथा नियामक समस्याओं दोनों से है। वास्तविकता ''क्या है" के क्षेत्र में आता है तथा मूल्य ''क्या होना चाहिए'' के क्षेत्र में। उदाहरणार्थ अगर कोई कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है तो वह आनुभविक तथ्य की बात कर रहा है। परंतु यदि कोई यह कहता है कि भारत को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाना चाहिए तो यह एक नियामक कथन होगा। राजनीति विज्ञान केवल क्रिया कलापों का वर्णन से संतुष्ट नहीं बिल्क यह उसको और अच्छा बनाना या परिवर्तन करना चाहता है। आनुभविक कथन उसी प्रकार सही या गलत हो सकते हैं जैसा उन्हें अवलोकन कराया जाएगा। मूल्यांकनात्मक कथन वे नैतिक अनुभव हैं जो कभी भी असत्य या गलत नहीं हो सकते हैं। गणित के साध्यों के औपचारिक कथन अपने संघटकों के अर्थ के आधार पर गलत या सही हो सकते हैं। राजनैतिक दर्शनशास्त्र का संबंध औपचारिक कथन से है। राजनीति विज्ञान आनुभाविक कथन से संबंध रखता है और वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं व्यवहारों का मूल्यांकन करता है तािक उन्हें बेहतर बनाया जा सके।

6

पाठगत प्रश्न 1.1

रिक्त स्थान भरिए।

(ক.)	राजनीति विज्ञान का संबंधदोनों विषयों से है।
	(आनुभविक, नियामक, औपचारिक)
(폡.)	राजनीति विज्ञान और का अध्ययन करता है।
	(समाज, राज्य, राष्ट्र, शक्ति, वर्ग)
(ग.)	पॉलिटिक्स शब्द शब्द से लिया गया है।
	(पोलिस, पुलिस, राज्य)
(ঘ.)	ने कहा कि राजनीति का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है।
	(गेटेल, गार्नर, लासवेल)
(퍟)	ने राजनीति विज्ञान को सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन कहा है।
	(कप्लान, इस्टन, गार्नर)

1.1.2 राजनीति विज्ञान के विषय का विकास

राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में युनान के लोगों ने प्रारंभ किया था। प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शिनिकों ने इसे व्यापक रूप में प्रयोग किया। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को ही मास्टर विज्ञान कहा था। अरस्तू के अनुसार इसके अंतर्गत न केवल राज्य के संस्थान आते हैं, बिल्क इसमें परिवार, सम्पित्त तथा अन्य सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया गया है। ग्रीक लोगों के लिए राजनीति विज्ञान सभी गितविधियों को सिम्मिलित करता था। राजनीति विज्ञान के प्रति प्राचीन ग्रीक चिंतकों का दृष्टिकोण मुख्यतया नैतिक था। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतकों के विचारों में राजनीति का वैधानिक पक्ष शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में राजनीति विज्ञान चर्च के धार्मिक आदेशों की एक शाखा बन गया। उस समय राजनीतिक सत्ता चर्च की प्रभुत्ता के अधीन थी।

एक आम आदमी राजनीति को प्राय: दलगत राजनीति से ही जोड़ता है। परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम जानते हैं कि राजनीति इससे कहीं ज्यादा विस्तृत है। यह राज्य और शक्ति का क्रमबद्ध अध्ययन करता है।

राज्य के आकार में विस्तार तथा जटिलता के साथ-साथ राजनीति विज्ञान ने व्यावहारिक और पंथिनरपेक्ष रूप धारण कर लिया। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित थी। लेकिन पूंजीवाद जैसी नई आर्थिक व्यवस्था के आने से राज्य में अब बहुत परिवर्तन आ गए।

यह किसी समूह की गतिविधियां भी हो सकती हैं जो किसी नीति विशेष को सरकार द्वारा अपने पक्ष में बनवाना चाहते हैं। क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के हित भी अलग-अलग होते हैं, अत: इस प्रकार की गतिविधियां मतभेद, प्रतिस्पर्द्धा तथा संघर्ष उत्पन्न करती हैं। परंतु राजनीति के एक विशिष्ट गुण में सरकार द्वारा बल प्रयोग शामिल है।

दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद, राजनीति विज्ञान का एक नया रूप व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में उदय हुआ। अमेरिकी राजनीति विज्ञान के 1950 तथा 1960 के दशकों में व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया। भौतिकी तथा वनस्पति विज्ञान जैसी प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के अनुसार वे लोग राजनीति को एक आदर्श नमूना (मॉडल) बनाना चाहते थे। व्यवहारवादियों ने आनुभविक समस्याओं से प्रेरित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो प्रेरक विधि को मानते हैं वे अवलोकन, परीक्षण तथा अध्ययन के बाद ही किसी परिणाम तक पहुंचते हैं। उदाहरणार्थ, जब दक्षिण अमरीका के अफ्रीकी –अमरीकी (श्याम वर्ण) निवासियों को डैमोक्रेटिक पार्टी को मत देते हुए देखा गया तब वे इस परिणाम पर पहुँचे कि अफ्रीकी लोग अमरीका के काले रंग वाले लोगों को भी ही मत देते हैं।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचों की गितिविधियों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर उनके कार्यों की ओर केंद्रित किया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक गितिविधियों तथा राजनीतिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले मिहला अथवा पुरुष किमेंयों की गितिविधियों, उनकी कार्यशैली एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल देता है। इसमें विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्यों, साक्ष्यों तथा व्यवहार के अध्ययन को स्थान दिया गया है। वे स्वीकार करते हैं कि व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गितिविधियाँ स्पष्ट होती हैं वे ही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु हैं।

राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना भी हो सकता है। इसमें सरकार द्वारा भौतिक बल के प्रयोग को भी समाहित किया गया है। प्राय: सरकार द्वारा बनाई गई संतुलन नीतियों तथा उसके प्रभावों को भी राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया है।

राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जहां व्यक्ति समृह अथवा समुदाय अपने



मॉड्यूल- 1 व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

निर्धारित किंतु विरोधमूलक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में स्रोतों को अधिकारपूर्ण निर्धारित करने का प्रयत्न करता है (इस्टन ने इसे मूल्य कहा है)।

राजनीति संरचनाओं, संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा गितविधियों का अध्ययन करते हुए बल प्रयोग की संभावनाओं को मान्यता देता है। उन्नीसवीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के लेखों से ली गई मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि राजनीति उन दो वर्गों के बीच कभी भी न समाप्त होने वाले संघर्ष का अध्ययन है जिसमें से एक सम्पन्न वर्ग है, जिसके पास निजी सम्पित्त है अथवा धनाढ़य हैं और दूसरा विपन्न वर्ग है जिसके पास कोई निजी सम्पित्त नहीं है और निर्धन है। हम इन दो वर्गों को क्रमश: शोषक तथा शोषित भी कह सकते हैं। विपन्न वर्ग का उद्धार केवल आंदोलन द्वारा ही हो सकता है जिससे निजी सम्पित्त जैसी संस्था समाप्त हो जाएगी और जिससे वर्ग समाज का अंत होगा तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसे उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं जिसके अनुसार राजनीति समन्वय तथा समायोजन के माध्यम से न्याय और व्यवस्था पर आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास है। परंतु संयोग से राजनीति की मार्क्सवादी विचारधारा, राजनीति की उदारवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई।

1.2 राजनीति विज्ञान तथा राजनीति में अंतर

राजनीति विज्ञान तथा राजनीति प्राय: एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझना जरूरी है। कुछ विद्वानों ने राजनीति को 'विज्ञान तथा सरकार की कला' कहा है जबिक यह राजनीति विज्ञान की व्याख्या का केवल एक हिस्सा है। आजकल 'राजनीति' शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने वाले तंत्र के रूप में होने लगा है। किसी भी समय में और आज भी शक्ति पाने तथा उसे बनाए रखने की तकनीक को राजनीति कहा जाता है।

अनेकों राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत, संप्रभुता, शिक्त की अवधारणा, सरकारों का स्वरूप तथा कार्यप्रणाली, कानूनों के निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया, चुनाव, राजनीतिक दल, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, पुलिस की कार्यप्रणाली तथा राज्य एवं सरकार की कल्याणकारी गतिविधियाँ भी समाहित होती हैं। राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझने की जरूरत है। कई बार राजनीति का अर्थ प्रायोगिक राजनीति से लगाया जाता है। राजनीति का प्रयोग राजनीति के अध्ययन से भिन्न है। व्यावहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का गठन, सरकार की कार्यप्रणाली, प्रशासन, कानून एवं विधायी कार्य आते हैं। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसमें युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक व्यवस्था तथा मानव अधिकारों की रक्षा आदि आते हैं। जहां राजनीति विज्ञान की एक विषय के रुप में जानकारी अध्ययन से प्राप्त होती है, वहीं व्यवहारवादी राजनीति का कौशल राजनीति करके, चालाकी या धूर्तता से अथवा जातिवाद, धार्मिक निष्ठाओं और धार्मिक भावनाओं के शोषण करने से होता है। उदारवादी राजनीति को प्राय: आम आदमी की सोच में गंदा खेल और भ्रष्ट प्रक्रिया कहा जाता है।

परंतु हम जानते हैं कि शायद ही ऐसे मानव समूह अथवा समाज हों जो राजनीति से बचे हुए हों और शायद ही ऐसे व्यक्ति हों जो राजनीति के खेल की उलझनों या प्रभावों को न जानते हों। व्यवहारवादी राजनीति के कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। आज के कल्याणकारी युग में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जैसे अस्पृश्यता-निवारण, भूमि-सुधार, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, मानव-श्रम के विक्रय पर प्रतिबंध, बेगार रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम, अन्य पिछड़ी जातियों का सशक्तीकरण, आदि। राजनीति, समाज तथा संस्थाओं में होने वाली वास्तविक घटनाओं की प्रक्रिया से संबंधित है जिसे राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करता है।

पाठगत प्रश्न 1.2

रिक्त स्थान को भरिए

(क)	ने राजनीति विज्ञान को 'मास्टर विज्ञान' कहा है।
	(प्लेटो, अरस्तू, लास्की)।
(ख)	व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के भाग के पर विशेष महत्व दिर है।
	(विज्ञान, दर्शन, राजनैतिक)।
(刊)	ने राजनीति को अमीर और गरीब वर्ग के बीच संघर्ष बताया है।
	(ग्रीक्स, रोमन, मार्क्सवाद)
(ঘ)	व्यावहारिक राजनीति की कला के द्वारा प्राप्त की जाती है।
	(ईमानदारी, नैतिकता, चालबाजी)

1.3 राजनीति विज्ञान का क्षेत्र

यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।

1.3.1 राज्य की भूमिका

'राज्य' शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ मैकियावली (1469-1527)ने किया था। उस समय से हर राजनीतिज्ञ राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है।

राज्य के चार प्रमुख तत्व होते हैं। वे हैं-(क) जनता (ख) भू-भाग जहाँ जनता निवास करती है, (ग) सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है तथा (घ) संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्णय तथा मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप इन चारों तत्वों के बारे में विस्तार से अगले पाठ में अध्ययन करेंगे।

राज्य का आधार तथा भूमिका के बारे में भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचार धारा ने, जिसके बारे में आप चौथे पाठ में अध्ययन करेंगे, सोलहवीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया तथा अठारहवीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इन क्रांतियों ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है।

वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने तथा बेचने वाले स्थान को बाजार कहते हैं। यह मांग और पूर्ति के आधार पर चलाया जाता है। अनेक लोगों का मानना है कि अगर राज्य का हस्तक्षेप न हो तो यह एक स्विनयामक एवं स्वसुधार वाला स्थान है और प्रतिस्पर्धा इसका मुख्य बिंदु है। पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है।

ऐसे सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी तथा सौदागर आते हैं और फिर उद्योगपित आते हैं (जिन्हें बुर्जूवा वर्ग कहा गया) जो इस व्यवस्था के मुख्य लाभभोगी हैं। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का मुख्य आधार है। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक 'आवश्यक' बुराई है। एक बुराई परंतु जो आवश्यक भी है ताकि व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया जा सके।



व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

इस मत के अनुसार एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। दूसरे शब्दों में राज्य को एक 'पुलिस राज्य' होना चाहिए परन्तु सीमित होना चाहिए। यह एक दूसरे अर्थ में भी सीमित होना चाहिए जैसा कि सत्ररहवीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेजी उदारवादी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए।

प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति ने इन्हें प्राप्त कर लिया था। चूंकि राज्य ने इन अधिकारों को नहीं दिया है इसलिए तो राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता।

इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसके बारे में विस्तार से आप चौथे पाठ में पढ़ेंगे, का मानना है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। इस दृष्टिकोण वाले लोगों का मानना है कि सदियों से राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार है जिससे गरीबों का शोषण किया जाता है। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि "ट्रस्टीशिप' की व्यवस्था द्वारा लोगों के अस्तित्व को बचाए रखना है। इसके द्वारा निर्धनतम पुरुष तथा स्त्रियों को सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ जो अपने नागरिकों के कल्याण, विशेषकर गरीब, बेरोजगार तथा बूढ़े लोगों के हित का अधिक ध्यान रखता है। यह अब प्राय: माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है। इसलिए राज्य का कार्य कई गुणा बढ़ गया है।

राज्य जनता के 'ट्रस्टी' के रूप में कार्य करता है अर्थात इसके पास जनता की शक्ति एक 'ट्रस्ट' के रूप में, जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसे जनता को शक्तिहीन विषय नहीं समझना चाहिए बल्कि इन्हें शासन में सह-शासक समझना चाहिए।

शिक्त का तात्पर्य एक व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार-व्यवहार को प्रभावित करता है। मैं आपके ऊपर आधिपत्य रखता हूँ यदि मैं आपसे वह कार्य कराने में सफल हूँ जो आप अपने आप नहीं करते। परंतु शिक्ति का प्रयोग हमेशा खुलेआम नहीं होता। इसका प्रयोग गुप्त रूप से भी किया जाता है जैसे कि कार्यक्रम पर नियंत्रण। यद्यपि शिक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग तब माना जाएगा जब मैं आपको मनवा सकूँ कि आपके लिए क्या अच्छा तथा क्या बुरा है। इस तरह से मेरा आप पर पूर्ण आधिपत्य है। ऐसे प्रभुत्व को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती।

सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हम सरकार के विविध पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं जिनके पास अपने क्षेत्र संबंधी विभाग तथा उससे संबंधित शक्तियाँ होती हैं। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विशाल सरकारी प्रशासन की भी व्यवस्था है। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा उन्हें हमारे जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए करती है।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उच्चस्तरीय सामाजिक जीवन से संबंधित लोगों, जैसे सरकार, प्रशासन अथवा चुनावों, आदि में ही नहीं दिखाई देता बल्कि इसे छोटे स्तर पर परिवार जैसी इकाईयों में भी देखा जा सकता है। नारीवादी आंदोलनकारियों का मानना है कि पुरुष व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के ऊपर शक्ति अथवा प्रभुत्व का प्रयोग करता है। अत: यह ठीक ही कहा गया है कि ''व्यक्तिगत भी राजनीतिक है।''

एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वैध तथा अवैध शक्ति में भी विभिन्नता को देखा गया है। कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसे न्यायसंगत तथा उचित कहा जाता है। परंतु कुछ शक्ति ऐसी होती है जिसे न्यायसंगत

नहीं कहा जाता। एक डकैत की शक्ति जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है वास्तविक है क्योंकि अगर मैं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाऊँगा तो वह मुझे मार सकता है। ऐसी शक्ति को न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, सरकारी प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों या न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की गयी शक्ति को उचित तथा न्यायसंगत माना जाता है। डकैत की शक्ति अवैध है जबिक सरकार की शक्ति वैध होती है। संवैधानिक सत्ताधारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को सत्ता कहते हैं। सत्ता में शक्ति तथा वैधता दोनों निहित होती है। इसलिए सत्ता शक्ति का वह रूप है जो न्यायसंगत तथा उचित है। यह शक्ति के साथ-साथ वैध भी है।

1.3.2 नागरिक और सरकार

सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अपने तीनों अंगो अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के माध्यम से सरकार नियमों एवं कानूनों के निर्माण, विवादों के निबटारे तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। यह देश की एकता एवं अखण्डता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों और समाज के कल्याण एवं विकास के लिए अनेकों अन्य कार्य करती हैं। ऐसी प्रवृति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है जैसा कि भारत में। नागरिक एवं सरकार के बीच संबंध पारस्परिक हैं। नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। राज्य नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देता है और इसके बदले नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। जहाँ तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, ये तीन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं-नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक। नागरिक अधिकार वे हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, संपित रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा, आदि शामिल हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी को एक समान समझना तथा विशेषाधिकार का नहीं होना। कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान हैं। राजनीतिक अधिकारों का अभिप्राय, मत देने का अधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार से है। सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आर्थिक कल्याण, सुरक्षा तथा समाज में उपस्थित सम्मान की जिंदगी जीना आता है।

नागरिकों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे सरकार को कर दें। प्रत्येक नागरिक को विधि एवं नियम का पालन करके सरकार से सहयोग करना चाहिए तथा प्रतिरक्षण में मदद करनी चाहिए ताकि असाध्य बीमारियों को रोका जा सके। जनसंख्या विकास को रोकने के लिए छोटा परिवार की परंपरा अपनानी चाहिए। सार्वजिनक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और असामाजिक तत्व एवं राष्ट्र के दुश्मनों को पकड़वाने तथा सजा दिलवाने में मदद करनी चाहिए। अलग–अलग जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के नागरिकों को अपनी–अपनी समस्याओं का समझौता के द्वारा समाधान करना चाहिए, हिंसा द्वारा नहीं। ऐसा होने पर सरकार अपने संसाधनों एवं ऊर्जा को बचाकर सकारात्मक कार्यों में लगा सकेगी।

1.3.3 स्वतंत्रता

स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'लिबर' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्राचीन समय में राजनीतिक चिंतकों का एक दल मानता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी प्रकार की बाधा न होना। इसे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ कहा गया है। इस नकारात्मक चिंतन वाले लोगों का मानना है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक थे, का मानना है कि 'बाधा एक बुराई है'। मिल राज्य एवं समाज की तरफ से आने वाली बाधाओं से विशेष



व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

चिंतित थे।

मनुष्य समाज में एक साथ रहता है इसलिए बाधाओं का बिल्कुल नहीं होना असंभव है तथा रेखा जनहित में भी नहीं है। सकारात्मक चिंतक दल का मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्र होना चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की एक कानूनी सीमा रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ स्वतंत्रता कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी होती है। इस धारणा का और आगे अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने आप में मालिक है। इस धारणा का हैरोल्ड जे. लास्की ने समर्थन किया था। स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। इतिहास इसका गवाह है। कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कानून द्वारा सीमित करना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वतंत्रता का लाभ मिल सके।

1.3.3.1 स्वतंत्रता की सुरक्षा

संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता का एक प्रमुख रक्षक माना गया है। इसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से बचाया जाता है। यह कहना उचित है कि निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतंत्रता की प्रहरी है। इसके बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन है। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी स्वतंत्रता की एक मुख्य सुरक्षा है। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि शक्ति केंद्रीकरण ने निरंकुशता को जन्म दिया है।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन भी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रमुख साधन है। **मान्टेस्क्यू** ने कहा है कि शक्ति पर नियंत्रण शक्ति द्वारा ही होना चाहिए।

कानून के नियम तथा कानून की दृष्टि में समानता भी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इन नियमों से जाति, वर्ग, धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होते हैं। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा होती है। कुछ व्यक्तियों के विशेष अधिकारों के दुरुपयोग से बहुसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता की हानि होती है। इसके अतिरिक्त, सुसंगठित दलीय व्यवस्था तथा जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था से स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

सभी सुरक्षा साधन बेअसर हो जाएंगे यदि नागरिक स्वंय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे। इसलिए लोगों को हमेशा चौकस एवं चौकन्ना रहना चाहिए ताकि कोई भी उनकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण न कर सके। निरन्तर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है।



पाठगत प्रश्न 1.3

रिक्त स्थान भरिए-

(क) ''राज्य'' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था।

(प्लेटो, मैक्यावली, कौटिल्य)

(ख) ''स्वतंत्रता'' शब्द की उत्पत्ति भाषा के लिवर शब्द से हुई है।

(ग्रीक, रोमन, लैटिन)

(ग) उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं।

(प्रारंभिक, आधुनिक, इच्छा स्वतंत्रतावादी)

(घ) की स्वतंत्रता के लिए कुछ लोगों की स्वतंत्रता को कानून द्वारा रोका जाना चाहिए।

(सभी, कुछ)

(ङ) निरंतर स्वतंत्रता का मूल्य है।

(सतर्कता, स्वतंत्रता, आजादी)

1.4 न्याय तथा राज्य और नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता

न्याय (जस्टिस) शब्द लैटिन भाषा के 'जस्ट' से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है-बंधन। इसलिए न्याय शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता जैसे मूल्यों को जोड़ता है तथा इनका संश्लेषण करता है। **ई. बार्कर** ने न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा संश्लेषक कहा है। न्याय की सबसे साधारण और बढ़िया परिभाषा है कि सभी को जो कुछ मिलना चाहिए वह उन्हें मिले।

1.4.1 न्याय के पहलू

जब हम न्याय के व्यापक पक्ष को सोचते हैं तो न्याय के कई पहलू सामने आते हैं। उनमें से वितरक न्याय भी एक पहलू है, जिसका अर्थ है समाज के प्रतिष्ठित पदों एवं आय का सही–सही वितरण। वितरक न्याय के दो पक्ष हैं-'योग्यता' तथा 'समानता एवं आवश्यकता'।

1.4.2 योग्यता

एक पक्ष का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक स्तर और संपत्ति का फैसला उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जब लोग योग्यता के अनुसार जीवनवृत्ति तथा अवसर की समानता की बात करते हैं, तो उनके मन में योग्यता एक आधार होता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि योग्यता और क्षमता को कैसे तय किया जाए। उदारवादियों का मानना है कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक है वह दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान है। समाजवादी आलोचकों का मत है कि बाजार में स्थिति या आय, भाग्य तथा सामाजिक परिचय के आधार पर निर्धारित होती है तथा इसका योग्यता से कोई विशेष संबंध नहीं होता।

1.4.3 आवश्यकता और समानता

दूसरी विचारधारा का मत है कि व्यक्ति के आवश्यकता की आधार पर वस्तुओं और प्रतिष्ठा का निर्धारण होना चाहिए। परंतु आवश्यकता को कैसे स्पष्ट करें? रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकता पर सभी सहमत होते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त लोगों में कोई सहमित नहीं है। मार्क्सवादियों के मत से दूसरे लोगों में सहमित नहीं है। मार्क्सवादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का स्पष्टीकरण करना चाहिए तथा साम्यवाद के अंतर्गत पर्याप्त संसाधनों को पैदा किया जा सकता है जिससे सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यद्यपि दूसरे लोगों का मानना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति दो संस्थाओं द्वारा की जा सकती है—कल्याणकारी राज्य तथा बाजार। कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिनको कल्याणकारी राज्य पूरा कर सकते हैं तथा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार द्वारा की जा सकती है।

1.4.4 अवसर की समानता

पारिश्रमिक की पहचान या व्यवहार की पहचान ही समानता नहीं है, अर्थात प्रयास तथा परिस्थिति को ध्यान दिए बिना प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मजदुरी एवं व्यवहार कैसे मिल सकता है। उदाहरणार्थ, बिना उनके



व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

प्रश्नोत्तर को देखे तथा जाँचे प्रत्येक विद्यार्थी को साठ नम्बर कैसे मिल सकते हैं। अच्छा यह होगा कि जिस विद्यार्थी ने बढ़िया लिखा हो उसे अच्छे अंक मिलने चाहिए। यह समानता के अनुरूप होगा। इसी प्रकार, समाज में कुछ लोगों की आमदनी अधिक है तथा कुछ की कम। ऐसी स्थिति में समानता का उल्लघंन नहीं होता अगर नीचे लिखीं दो शर्ते पूरी हों तो-

- (क) विशेषाधिकारों का न होना
- (ख) अवसर की समानता।
- (क) विशेषाधिकार नहीं होने पर समानता को शिक्त मिलती है तथा इसके विपरीत विशेषाधिकार होने पर असमानता को बल मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अधिक अवसर नहीं देने चाहिए। विशेषाधिकार असमानता की स्थिति उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रक्रिया में समानता को हानि पहुंचती है। अवसर की समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पदों एवं कार्यालयों में एक समान प्रवेश मिले। भारत में अवसर की समानता का सबसे अच्छा उदाहरण है संघ लोक सेवा आयोग जो लोक सेवा की परीक्षाएं कराता है। भारत का कोई भी स्नातक चाहे उसने किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो, इस परीक्षा में बैठ सकता है।

अवसर की समानता की अवधारणा से शर्तों की समानता जुड़ी है। किसी भी दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ स्थान पर होने का समान अवसर मिलना चाहिए। उसके पश्चात जीवन की दौड़ प्रारंभ होती है। इस दौड़ में कुछ प्रथम स्थान पर आएंगे, कुछ द्वितीय तथा कुछ असफल रहेंगे। परंतु यह समानता का उल्लघंन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि शर्तों की समानता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रारम्भ से पिछड़े वर्गों जैसे दलितों तथा अनुसूचित जातियों को रोजगार में आरक्षण देकर क्षतिपूर्ति की जाए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है।

समानता शब्द को समता से भी जोड़ा जा सकता है जैसे कि समान व्यवहार। निष्पक्षता के अंतर्गत एक जैसे मामलों को समान रूप से देखा जाता है। अर्थात, प्रासंगिक समान मामले को समान तरीके से देखना होगा।

1.4.5 संपूर्ण न्याय (पूर्णरूपेण न्याय)

न्याय के सिद्धांत का एक और पक्ष है जो योग्यता तथा आवश्यकता दोनों को अस्वीकार करता है। यह पक्ष समस्त परिणाम को स्वीकार करता है। **जॉन राल्स** का सिद्धांत इस वर्ग में आता है। वह अपनी पुस्तक न्याय के सिद्धांत में लिखते हैं कि वस्तुओं के निर्धारण संबंधी असमानताएं उचित हैं यदि वे असमानताएँ समाज के पिछड़े सदस्यों के हित में कार्य कर रही हों। उदाहरणार्थ, एक प्रोफेसर का उच्च वेतन न्यायोचित है अगर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पिछड़े सदस्यों को लाभ पहुँचाता है।

दूसरी तरफ, **नोज़ीक** जैसे विद्वान न्याय के परम्परागत अर्थ का समर्थन करते हैं जो कानून और अधिकार का आदर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सम्पत्ति रखने के अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक मानव है। **नोज़ीक** का मानना है कि राज्य भी इस अधिकार को नहीं छीन सकता। **नोज़ीक** राज्य द्वारा अधिक कर वसूले जाने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा से आमदनी को खर्च करने के अधिकार में कर बाधा पहुँचाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में कर वसूली बाधक है।

न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है। उसमें प्राचीन समय से लेकर अब तक बदलाव आ रहा है। इसलिए न्याय के बारे में अन्तिम शब्द कहना कठिन है। न्याय एक ऐसी धारणा है जो निरंतर विकसित होती रहती है।

1.4.6 न्याय तथा इसका स्वतंत्रता एवं समानता के साथ संबंध

लार्ड ऐक्टन और एलेक्सीसी डी टौक्वेली जैसे उन्नीसवीं सदी के विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत है। उनका सोचना है कि समानता के ऊपर विशेष बल देने से स्वतंत्रता का महत्व कम हो जाता है। बाद के कुछ विद्वानों का भी यही मानना है। कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रगतिशील कर वसूली को संपत्ति वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता है चाहे वास्तव में कर द्वारा प्राप्त धन गरीबों, बेरोजगारों, जरूरतमंद विकलांगों तथा बूढ़े लोगों की स्थित सुधारने वाली योजनाओं में लगाया जाता हो। इन योजनाओं के द्वारा समानतावादी समाज की स्थापना होती है। परस्पर विरोधी स्थिति में उस समय की न्याय व्यवस्था यह तय करती है कि स्वतंत्रता तथा समानता का उचित मिश्रण क्या होगा। अत: स्वतंत्रता तथा समानता न्याय की दो धारणाएं हैं। वास्तव में स्वतंत्रता तथा समानता का उद्देश्य न्याय है।

पाठगत प्रश्न 1.4

रिक्त स्थान भरिए

- (क)के अनुसार न्याय राजनीतिक मूल्यों को जोड़ता है। (प्लेटो, अरस्तू, बार्कर)
- (ख) समानता का अर्थ नहीं है। (व्यवहार की पहचान, अवसर की समानता)
- (ग) **नोज़ीक** के अनुसार न्याय का अर्थ है।
 (अधिकार, दायित्व, आवश्यकता)
- (घ) **रॉल्स** के अनुसार असमानता स्वीकार्य है अगर वह को लाभ पहुँचाता है। (धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, पिछड़े वर्ग)
- (ङ) समानता का अर्थ है। (विशेषाधिकारों का अभाव, पुरस्कार की पहचान, स्वतंत्रता)

आपने क्या सीखा

- 1. प्राचीन यूनानियों का विचार था कि राजनीति विज्ञान राजनैतिक दर्शन है। वे लोग राजनीति के नैतिक पहलुओं पर विशेष बल देते थे। मध्यकाल के समय, राजनीति विज्ञान, चर्च का एक हिस्सा था तथा राजनीतिक सत्ता चर्च की सत्ता की सहायक थी।
- 2. आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान ने वास्तविक तथा पंथ निरपेक्ष रूप अपना लिया। पूंजीवाद के प्रकट होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्रांति आई तथा राज्य के कार्यो में परिवर्तन आया।
- उ. राजनीति विज्ञान का विषय राज्य का एक विशेष विज्ञान बन गया। यह अनेकों प्रकार के सरकारों के बारे में तथा इसके अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कराता है।



व्यक्ति एवं राज्य



राजनीति विज्ञान

- लास्की का कथन है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संगठित राज्य से संबंधित पुरुष तथा स्त्री के जीवन से जुड़ा है।
- 5. बीसवीं शताब्दी में व्यावहारिक उपागम का ध्यान राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की तरफ से हटकर उनके कार्यों तथा राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन एवं महिलाओं तथा पुरुषों के व्यवहार के अध्ययन की तरफ चला गया।
- 6. राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, राज्य के तथा सरकार के कार्यों का अध्ययन और नागरिकों के साथ उनके संबंध आते हैं।
- 7. राजनीति विज्ञान राजनीति से भिन्न है। राजनीति विज्ञान राजनीति के अध्ययन से सम्बद्ध है जबिक राजनीति महिला एवं पुरुष की समस्याओं तथा राजनीतिक गतिविधियों के साथ पारस्परिक क्रिया एवं संघर्ष से संबंधित है।
- 8. दूसरों को नियंत्रित करने की योग्यता को सत्ता कहते हैं। यह वह क्षमता है जो दूसरों से अपनी इच्छानुसार कार्य कराती है। शक्ति तथा वैधता दोनों मिलकर सत्ता कहलाते हैं।
- 9. साधारणतया स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार पर किसी बाधा के नहीं होने से लिया जाता है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं अनुभूति से है अर्थात व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे दूसरों की स्वतंत्रता में कमी न आए। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। प्रायः यह समझा जाता है कि समाज में न्याय तभी हो सकता है जब लोगों को योग्यता के आधार पर तथा अभाव ग्रस्त की आवश्यकता का ध्यान दिए बगैर पुरस्कृत किया जाय। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता तथा समानता न्याय के बहुत महत्वपूर्ण स्तम्भ माने जाते हैं।



- 1. राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए।
- 2. राजनीति विज्ञान के एक विषय के रूप में विकास पर टिप्पणी लिखिए।
- 3. राजनीति विज्ञान के कार्य-क्षेत्र को राज्य की भूमिका तथा सरकार के कार्यों के संदर्भ में वर्णन कीजिए।
- 4. राजनीति विज्ञान और राजनीति में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- 5. व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के ऊपर टिप्पणी लिखिए।
- 6. स्वतंत्रता के नकारात्मक एवं सकरात्मक पक्षों को स्पष्ट कीजिए।
- 7. अवसर की समानता का क्या अर्थ है?
- 8. न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1

(क) आनुभविक, नियामक

- (ख) राज्य और शक्ति
- (ग) पोलिस
- (घ) गार्नर
- (ङ) कप्लान

1,2

- (क) अरस्तू
- (ख) विज्ञान
- (ग) मार्क्सवाद
- (घ) चालबाजी

1,3

- (क) मेक्यावली
- (ख) लैटिन
- (ग) प्रारंभिक
- (घ) सभी
- (ङ) सतर्कता

1.4

- (क) बार्कर
- (ख) व्यवहार की पहचान
- (ग) अधिकार
- (घ) पिछड़े वर्ग
- (ङ) विशेषाधिकारों का अभाव

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

- 1. खण्ड 1.1 और 1.1.1 देखें
- 2. खण्ड 1.1.2 देखें
- 3. खण्ड 1.3.1 देखें
- 4. खण्ड 1.2 देखें
- 5. खण्ड 1.3.2 देखें
- 6. खण्ड 1.3.3 देखें
- 7. खण्ड 1.4.4 देखें
- 8. खण्ड 1.4 देखें

